258

न्यायालय श्रीमान् म0प्र0 राजस्व मंण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट कैम्प रीवा म0प्र0

प्रकरण क्रमांक - 2399-II/2016

अधि० श्री रामनरेश मिश्रा द्वारा पेश 21-8-17

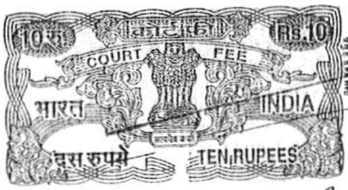

Rs. 10/-

रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

III/पुर्नस्थापन/उमरिया/2017/2730

1. प्रेमलाल तनय खिलाड़ी कलार
2. श्रीमती मुन्नीबाई पत्नी स्व0 श्री रामस्वरूप कलार

   दोंनों निवासी ग्राम बकेली (उमरिया) थाना इंदवार, तहसील मानपुर, जिला उमरिया (म0प्र0)
3. श्रीमती अनीता पत्नी पुरुषोत्तम दास कलार तनय स्व0 श्री रामस्वरूप कलार उम्र 35 वर्ष निवासी वरनमोहगवां थाना एवं तहसील बरही, जिला कटनी (म0प्र0)
4. श्रीमती सालिनी देवी पति सुधीर कलार पुत्री स्व0 श्री रामस्वरूप कलार उम्र 33 वर्ष निवासी ग्राम अगोध थाना तहसील बहोरीबांध जिला कटनी (म0प्र0)
5. नीरज तनय स्व0 रामस्वरूप कलार उम्र 27 वर्ष
6. मोनू पिता स्व0 रामस्वरूप कलार उम्र 23 वर्ष
7. रामसहाय तनय खिलाड़ी कलार उम्र 64 वर्ष
8. मोहन तनय खिलाड़ी कलार उम्र 62 वर्ष
9. बुद्धू तनय खिलाड़ी कलार उम्र 44 वर्ष

   निवासी ग्राम बकेली (उमरिया) थाना इंदवार, तहसील मानपुर, जिला उमरिया (म0प्र0)

--**निगरानीकर्ता/आवेदकगण**

बनाम

1. बलभद्र तनय धानू कलार उम्र 44 वर्ष
2. दीपचन्द्र तनय धानू कलार उम्र 57 वर्ष

   दोंनों निवासी ग्राम बकेली उमरिया थाना इंदवार तहसील मानपुर जिला उमरिया (म0प्र0)
3. म0प्र0 शासन पटवारी हल्का उमरिया बकेली, तहसील मानपुर, जिला उमरिया (म0प्र0)

----**अनावेदकगण**

आवेदन पत्र बावत निगरानी प्रकरण कमांक 2399/II/16 को पुर्नस्थापित करके गुणदोष पर सुनवाई करके निराकृत किए जाने हेतु।

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 35(3) म0प्र0 भू
राजस्व संहिता 1959ई0

मान्यवर,

आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित हैः–

1. यह कि उक्त उन्मान प्रकरण को श्रीमान द्वारा दिनांक 04.08.2016 को अदम पैरवी मे निरस्त कर दिया गया है।
2. यह कि आवेदकगण ने इस निगरानी प्रकरण की पैरवी करने के लिए शहडोल के अधिवक्ता श्री रमाशंकर शर्मा को नियुक्त किया था उनके द्वारा ही यह निगरानी आदि तैयार करके प्रकरण को कमिश्नर कार्यालय शहडोल मे दिनांक 05.07.16 को प्रस्तुत कर दिया था।
3. यह कि आवेदकगण ने जब अधिवक्ता महोदय से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा बताया गया कि आपका निगरानी प्रकरण प्रस्तुत कर दिया गया है, राजस्व मंण्डल सर्किट कोर्ट रीवा से सूचना प्राप्त होने पर वहां उपस्थित होकर ग्राह्यता एवं स्थगन पर तर्क किए जाएंगे।
4. यह कि प्रकरण के संबंध मे जब काफी दिनों से कोई सूचना प्राप्त नही हुई तथा अनावेदकगण द्वारा मौके पर भूमियों के संबंध मे विवाद करने पर आवेदकगण शहडोल जाकर वकील साहब से सम्पर्क किया तो उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण के संबंध मे उन्हें कोई जानकारी नही है रीवा सर्किट कोर्ट जाकर प्रकरण के संबंध मे जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी।
5. यह कि वकील साहब के निर्देश पर आवेदक दिनांक 03.08.17 को रीवा आकर राजस्व मंण्डल सर्किट कोर्ट मे सम्पर्क किया तथा प्रकरण के बारे मे जानकारी प्राप्त किया तो ज्ञात हुआ कि दिनांक 04.08.16 को बिना आवेदकगण को सुने वगैर ही उक्त प्रकरण अदम पैरवी मे निरस्त कर दिया गया है तब आवेदक ने वकील साहब के माध्यम से उक्त आदेश की प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जो नकल वकील साहब को प्राप्त होने पर वकील साहब ने आवेदक को नकल प्राप्त होने की सूचना भेजी जो सूचना प्रार्थी को प्राप्त होने पर प्रार्थी दिनांक 18.08.17 को रीवा आकर वकील साहब से सम्पर्क करके यह पुर्नस्थापना आवेदन पत्र आदि तैयार कराकर दिनांक 19.08.2017 एवं 20.08.2017 को तृतीय शनिवार एवं

प्रेमलाल कलार वगैरह / बलभद्र वगैरह

मा / निग / अपील / 17 / 2730 – अपील

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के ...
22/8/17	आवेदक अभि० श्री राम नरेश मिश्रा उपस्थित। उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि R-2399-अ/16 में दिनांक 4/8/16 को अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण पंजी से खारिज हो गया था। पुनः नम्बर पर लेने का अनुरोध किया गया है। 2- आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तथा R-2399-अ/16 आ.दि. 4/8/16 पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेस्टो० आवेदन स्वीकार कर समाप्त किया जाता है। [signature] सदस्य	

शाक्षेमुम्बा — 181 — फॉर्म्स — 29-8-16-30,000 प्रपत्र.